षोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-26.03.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री लाल बाबू राम, स०वि०स० श्री सुनील कुमार, स०वि०स० श्री जितेन्द्र कुमार राय, स०वि०स० श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स०	"भू-गर्भीय जल के बेतहाशा दोहन और अपव्यय के कारण आने वाले समय में राज्य में संभावित जल संकट से बचने का एक ही वैज्ञानिक उपाय है, वाटर रिचार्ज । वाटर रिचार्ज के उपायों में प्रमुख है तालाबों का निर्माण एवं पूर्व से निर्मित तालाबों की उड़ाही कर उन्हें जीवंत रखना जो राज्य में नहीं हो रहा है । सरकारी तालाबों को कूड़ेदान के तौर पर इस्तेमाल करने के साथ-साथ उनका अतिक्रमण भी हो रहा है । निजी तालाब तो एकाधिकार में हैं उन्हें भरकर उन पर अट्टालिकाओं का निर्माण हो रहा है । ऐसी स्थिति में वाटर रिचार्ज का सबसे प्रमुख साधन समाप्त होता जा रहा है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर चिंता जाहिर की और निजी तालाबों को बनाये रखने का आदेश दिया है । हालांकि छठ के समय सभी तालाबों की आनन-फानन में उड़ाही-सफाई कराई जाती है जिसकी कुछ दिनों में वही गति हो जाती है । अतः सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सभी तालाबों की उड़ाही कराकर उसे बनाये रखने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	ग्रामीण विकास

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्रीमती लेशी सिंह, स०वि०स० श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, स०वि०स० श्री मुजाहिद आलम, स०वि०स० श्रीमती वीणा भारती, स०वि०स० श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स०	"वर्ष 2017 में बाढ़ से 19 जिलों के 38 लाख परिवार, लगभग 17.80 लाख पशु प्रभावित हुए । 19 बाढ़ प्रभावित जिले में 4,05,492 बाढ़ पीड़ित परिवारों को नगद अनुदान के रूप में तीन हजार एवं खाद्यान्न के लिए तीन हजार रूपया कुल-6000/- रूपया का भुगतान GR मद के अन्तर्गत अबतक नहीं किया गया है । बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए गृहक्षति अनुदान की राशि 19 जिलों में से मात्र पाँच जिलों को ही 5.61 करोड़ आवंटन किया गया है । 14 जिले में गृहक्षति की राशि उपलब्ध नहीं करायी गई है । भीषण बाढ़ से 3,96,721 गृहक्षति हुई थी । बाढ़ से 373 मृत पशुओं की क्षतिपूर्त्ति राशि नहीं दी गई है । बाढ़ से विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित भी नहीं किया गया है । 19 बाढ़ प्रभावित जिलों में 894 करोड़ 70 लाख रूपया कृषि इनपुट सब्सिडी की राशि का वितरण किसानों के बीच नहीं की गई है और न ही बीमित किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा क्षतिपूर्त्ति की राशि दी गई है । बैंकों द्वारा किसानों को क्रेडिट धारकों को ऋण उपलब्ध कराया जाना था, जिससे लाभुक वंचित हैं । अत: क्षतिपूर्त्ति की राशि उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	कृषि आपदा प्रबंधन

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/18- 1698-1712 / वि०स०, पटना, दिनांक-23 मार्च, 2018 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / कृषि विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.03.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/18- 1698-1712 / वि०स०, पटना, दिनांक-23 मार्च, 2018 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

23.03.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।